rcues

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ

कार्यालय टिप्पणी एवं आदेश

URC/2742/24/2020-21

06/11/2020

1. श्री हिमॉशु चन्द्रा, सहायक निदेशक
2. सुश्री प्रियंका कुमार, अर्बन प्लानर
3. श्री विप्लव साहू, अर्बन प्लानर

शासनादेश संख्या–2374/33–3–2020–25/ 2020 दिनांक 04 नवम्बर, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा आरसीयूईएस, लखनऊ को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) निर्मित / निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का दायित्व सौंपा गया है तथा इस दायित्व के निर्वहन हेतु दरों को प्राप्त करने के लिए एक पत्र इम्डप एवं एस0आई0आर0डी0 को भारत सरकार द्वारा इरमा के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 के अनुसार एक प्रस्ताव भेजा जाना है, जिसमें उनके द्वारा इस कार्य को किस दर पर किया जायेगा, का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाये।

2. उपरोक्त कार्य के लिए यदि कहीं पर भारत सरकार के किसी मंत्रालय के कोई मानक उपलब्ध हों तो वह सूचना भी 03 दिन के अन्दर संकलित कर ली जाये।

3. इस कार्य को करने के लिए एक कार्ययोजना 02 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

(ए0के0गुप्ता)
अपर निदेशक

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, आरसीयूईएस, लखनऊ को अवलोकनार्थ।
2. डा0 अलका सिंह, उप निदेशक, आरसीयूईएस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त कार्य में कोर्डिनेट करने का कष्ट करें।
3. श्रीमती रचना ऋषि, प्रकाशन अधिकारी, आरसीयूईएस, लखनऊ को आरसीयूईएस, लखनऊ की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ए0के0गुप्ता)
अपर निदेशक

संख्या-2374/33-3-2020-25/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्री ए.के.गुप्ता,
अपर निदेशक,
क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2020

विषयः-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश की सभी 58,079 पंचायतों में एक-एक सामुदायिक शौचालय बनाये जाने है। यद्यपि SBM-II में इनका मानक लागत 3 लाख रखा गया है, परन्तु कतिपय जनपदों में उच्च स्पेशिफिकेशन के शौचलय भी बनाये जा रहे है। औसत लागत रू. 5.0 लाख प्रति शौचालय के अनुसार गणना करने पर यह पूरा कार्य रू0 2900 करोड़ का होता है। इतने बड़े स्तर पर पहली बार सामुदायिक शौचालय के निर्माण पर ग्रामीण क्षेत्र में Investment किया जा रहा है। इन सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का पूर्ण लाभ जनता को मिले इसके लिए इनका गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ-साथ उपयोगिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। शासन के आदेश संख्या-1758/33-3-2020-31/2019 दिनांक 15 जुलाई, 2020 द्वारा सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक सदस्य का चयन कर इसे सम्पादित करने का निर्णय लिया गया है। इन चयनित सदस्या को ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि से रू0 6000 प्रति माह मानदेय दिया जाना है। उक्त कार्य को सुचारू रूप से किया जाए इसके लिए आवश्यक है कि सही सदस्या का चयन सम्पन्न हो, यह जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इन कार्यों का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। शासन के पत्र संख्या-920/33-3-2020-25/2020 दिनांक 18.05.2020 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है।

Amit Sri.

2– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित उक्त कार्यों का थर्ड पार्टी सत्यापन उक्त संस्था के माध्यम से कराया जाना है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित होगें:–

(1) निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ पूर्णता।
(2) रख–रखाव की व्यवस्था–स्वयं सहायता समूह की नामित सदस्या इस कार्य को कर रही हैं/करेंगी।
(3) उपयोगिता में सुधार के लिए सुझाव।
(4) 15 दिन से 1 माह के उपरांत पूर्व में दिए गए सुझाव के अनुपालन की स्थिति का सत्यापन।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ (आर.सी.यू.ई.एस.) अपने स्तर से उपयुक्त संस्था/विशेषज्ञों का चयन कर निर्मित/निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों का उपरिलिखित बिन्दुओं के आलोक में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक माह एक संकलित रिपोर्ट निदेशालय व शासन को प्रस्तुत करें।

उक्त कार्य पर आने वाली लागत को स्वच्छ भारत मिशन के प्रशासनिक व आई.ई.सी. मद से वहन किया जाएगा।

भवदीय,

4.11.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.